JHARKHAND INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY, RIADA BHAWAN, NAMKUM INDUSTRIAL AREA, LOWADIH RANCHI

Short Term Notice Inviting Quotation

NIQ No.JIADA/01/2018-19

Jharkhand Industrial Area Development Authority plans to take up desilting and cleaning of drain, sweeping of roads, cutting of bushes and overgrown grasses in its Adityapur industrial areas in different phase.

Details of Work as follows:

Sl.No.	Item of works
1	Cleaning and Desilting of Drains, Disposal of over Burden of roads, Sweeping of Roads, Cutting of Bushes and over grown grasses, one time for 18.700 km Road
	and 37.4 km Drain (Approx) in Adityapur Industrial Area, from phase-Ist to phase-III and industrial Estate under JIADA.
2	Cleaning and Desilting of Drains, Disposal of over Burden of roads, Sweeping of Roads, Cutting of Bushes and over grown grasses, one time for 17.125 km Road and 34.250 km Drain (Approx) in Adityapur Industrial Area, from phase-IV to phase-VII under JIADA.

Accordingly JIADA invites quotation for above work for one time from various agencies/firms/industrial association, having minimum three years experience in this field up to 22 October 2018.

Detailed terms and condition may be seen on the Notice Board of JIADA/on website www.jiada.co.in Secretary, JIADA may be contacted in this regards during office time.

Sd/-Secretary, JIADA, Ranchi.

कार्य विवरणी नियम एवं शर्तें:--

- 1— कोटेषनदाता NIQ No. JIADA/01/2018-19 में वर्णित औद्योगिक क्षेत्रों में नालीयों को पूर्णतः Desilting and Cleaning सड़क पर स्थित over burden सामग्रियों की सफाई, सड़क पर Grown Grasses एवं झाड़ी की कटाई कर उठाव करते हुए औद्योगिक क्षेत्र से बाहर सुरक्षित स्थान पर फेकना होगा। कोटेषन दिनांक 22.10.2018 को 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जायेगा एवं उसी दिन 4.00 बजे अपराह्न में कोटेषनदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा।
- 2— कोटेषनदाता दर उद्धृत करने के पूर्व औद्योगिक क्षेत्रों स्थल भ्रमन कर लें। उद्धृत दर एवं राषि के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान नहीं किया जायगा।
- 3— कोटेषनदाता 25,000.00 (पच्चीस हजार रूपये) मात्र अग्रधन के रूप में जमा करेगें। यह राषि बैंक ड्राफ्ट के रूप झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के नाम, राँची में भुगतेय होगा।
- 4— कोटेषन के साथ तीन वर्ष का कार्य का अनुभव प्रमाण—पत्र, तीन वर्ष का आयकर रिटर्न एवं अद्यतन GST से संबंधित प्रमाण—पत्र समर्पित करेगें।
- 5— औद्योगिक क्षेत्रों में नालीयों की पूर्णतः Desilting and Cleaning, सड़क पर स्थित over burden सामग्रियों की सफाई, सड़क पर Grown Grasses एवं झाड़ी की सफाई कर उठाव करते हुए औद्योगिक क्षेत्र से बाहर सुरक्षित स्थान पर फेकने का कार्य संतोषप्रद ढ़ंग से करने पर उद्धृत राषि का भुगातन किया जायेगा।
- 6— चयनित Agencies/Firm/Industrial Area Association प्राधिकार की दिषा निर्देष एवं संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के ऐसोषिएसन से संपर्क बनाकर उपरोक्त कार्य संपन्न करेगें।
- 7- कोटेषनदाता अपने दर किसी एक औद्योगिक क्षेत्र या उससे अधिक औद्योगिक क्षेत्र के लिए कर सकते है।
- 8— चयनित Agencies/Firm/Industrial Area Association को F2 फर्म में एकरारनामा करना होगा एवं उसमें वर्णित शर्तें उन्हें मान्य होगा।
- 9— चयनित Agencies/Firm/Industrial Area Association को अपने एक प्रतिनिधि का नाम, मोबाईल नम्बर प्राधिकार को उपलब्ध कराना होगा जो लगातार प्राधिकार के संपर्क में रहेगें एवं कार्य को समूचित ढंग से करायेगें।
- 10— कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर 15 (पन्द्रह) दिनों का नोटिस देते हुए एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा।
- 11— प्राधिकार को किसी भी कोटेषन या सभी कोटेषन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।